

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2019—पौष 2, शक 1941

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 22-02-2019-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऐसे गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2019-20 की कालावधि के दौरान विक्रय किये जायेंगे को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है. यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययन रहते हुए दी जायेगी, अर्थात्:—

1. यह छूट ऐसे यानों के लिये दी जायेगी जिन्हें, ऐसे ऑटोमोबाइल व्यवसायियों द्वारा विक्रय किया जाए, जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर से, ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में वाहन विक्रय किये जाने के लिये व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य राज्यों के ऑटोमोबाइल व्यवसायी ग्वालियर व्यापार मेले में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे।
2. नीचे दिये गये खण्ड 3 में उपबंधित के सिवाए, ग्वालियर व्यापार मेले से क्रय किये गये यानों का पंजीयन राज्य में केवल क्षेत्रीयपरिवहन कार्यालय ग्वालियर में कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में पंजीयन के लिये यानों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. ऐसे यानों के पंजीयन के लिये जो ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किये जाएं, मेला परिसर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का अस्थाई कार्यालय खोला जायेगा।

F 22-02-2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides exemption of 50% on rate of life time tax payable on such non-transport vehicles and Small (Light) transport vehicles, which are liable to pay life time tax and are sold in the Gwalior Vyapar Mela during the period of 2019-20 Year. This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions, namely:—

1. That such vehicles which are sold by automobile businessmen who have obtained trade certificate from the Regional Transport Officer, Gwalior for Selling vehicles in Gwalior Vyapar Mela premises. Automobile businessmen from other states shall not be able to sell vehicles at the Gwalior Vyapar Mela.
- 2- Except as provided in clause 3 below, the registration of vehicles purchased from the Gwalior Vyapar Mela shall be mandatory in Regional Transport Office Gwalior in the state.
3. For Registration in other States outside Madhya Pradesh, Vehicles shall be required to obtain temporary registration certificate from Regional Transport Office Gwalior.
4. In the Mela premises, temporary office of the Regional Transport Office shall be opened for the purpose of registration of such vehicles which have been sold at Gwalior Vyapar Mela.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष भार्गव, उपसचिव.